एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना सेल्स ब्रोशर

एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना (यूआईएन: 512N283V03)

(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जो बचत और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का एक आकर्षक संयोजन प्रदान करती है। इस संयोजन से पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसमें बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में चयनित पॉलिसी अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदी जा सकती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- एकल प्रीमियम योजना।
- सुरक्षा भी, बचत भी।
- लचीलापन
  - वह अवधि चुनें जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर हितलाभों का चयन कर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

1. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध

a) प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र : 30 दिन (पूर्ण)

b) प्रवेश के समय अधिकतम उम्र : 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

c) परिपक्वता पर अधिकतम उम्र : 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

d) न्यूनतम पॉलिसी अवधि : 10 वर्ष

e) परिपक्वता पर न्यूनतम आयु : 18 वर्ष (पूर्ण)

f) अधिकतम पॉलिसी अवधि : 25 वर्ष

g) न्यूनतम बीमा राशि : रु. 1,00,000

h) अधिकतम बीमा राशि : कोई सीमा नहीं

बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशियों के गुणकों में होगी:

मूल बीमा राशि सीमा	बीमा राशि गुणक
रु. 1,00,000/- से रु. 2,50,000/- तक	रु. 10,000/-
रु. 2,50,000/- से अधिक	रु. 25,000/-

i) प्रीमियम भुगतान विकल्प : केवल एकल प्रीमियम

जोखिम कवर शुरू होने की तिथि:

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, तो इस योजना के अंतर्गत जोखिम कवर या तो पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष या 8 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ से शुरू होगा, जो भी पहले हो। 8 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए, जोखिम कवर स्वीकार करने की तिथि से, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से तुरंत जोखिम शुरू हो जाएगा।

प्लान के अंतर्गत जोखिम कवर के प्रारंभ होने की तिथि:

अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ मेल खाने वाली या तुरन्त उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित जीवन पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

2. हितलाभ

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम कवर शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ, निहित सधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ **"मृत्यु पर बीमा राशि"** होगी। जहाँ, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- बीमित व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से कम होने पर : मूल बीमा राशि या एकल प्रीमियम के 1.25 गुना में से जो अधिक हो।
- बीमित व्यक्ति की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होने पर : मूल बीमा राशि या एकल प्रीमियम के 1.10 गुना में से जो अधिक हो।

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं हैं।

लेकिन, अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश के समय उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि ऊपर पैरा 1 में उल्लेख किया गया है), देय मृत्यु हितलाभ अदा किए गए एकल प्रीमियमों (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम्स, अगर कोई हो को छोड़कर) की राशि बिना ब्याज के प्रदान की जाएगी।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** के साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) देय होगा।

जहाँ **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** मूल बीमा राशि के बराबर है।

सी. लाभ में प्रतिभागिता:

पॉलिसी निगम के लाभ में प्रतिभागिता करेगी तथा पॉलिसी अवधि के दौरान निगम के अनुभव के अनुसार घोषित सरल प्रत्यावर्ती बोनस पाने की हकदार होगी।

सरल प्रत्यावर्ती बोनसों की घोषणा वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाएगी। एक बार घोषणा किए जाने पर वे प्लान की उन अवधियों पर निगम द्वारा घोषित नियमों तथा शर्तों के अनुसार निश्चित हितलाभों का हिस्सा होंगे।

पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू निहित बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, अभ्यर्पण की तिथि पर देय लागू होगा।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम अतिरिक्त बोनस भी घोषित किया जा सकता है, जब पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु दावा या परिपक्वता के आधार पर दावा हो, यह निगम द्वारा घोषित दरों व शर्तों के आधीन होगा।

बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प

I. राइडर हितलाभ:

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित दो वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं।

ए) एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो एक्सिडेन्ट बेनिफिट राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

बी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'टर्म राइडर मृत्यु पर बीमा राशि' के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम बेस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम्स के 30% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त राइडर बीमा राशि में से प्रत्येक मूल योजना के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:

निपटान विकल्प एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में परिपक्वता हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्तियों की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए चुना जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के निश्चित राशि या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु. 15,000/–
अर्द्ध–वार्षिक	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष से कम नहीं, वार्षिक दर होगी। छमाही जी–सेक दर

मायनस 2%; जहां 10 वर्षीय जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्द्ध–वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

ए. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प को चुना है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प को चुना गया था)– (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

बी. भविष्य के किस्त भुगतानों को डिस्काउंट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 10 वर्ष तक के लिए छमाही जी–सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 10 वर्ष की छमाही जी–सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को निपटाया गया था, के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

सी. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव के किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव का अधिकार नहीं होगा।

III. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:

यह मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का निश्चित राशि या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु. 15,000/–
अर्द्ध–वार्षिक	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष से कम नहीं, यह वार्षिक दर होगी। छमाही जी–सेक दर मायनस 2%; जहां 10 वर्षीय जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प चुनना, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प चुनना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव का अधिकार नहीं होगा।

4. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम

मानक जीवन के लिए रु. 1 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ एकल प्रीमियम निम्नानुसार है:–

आयु (वर्षों में)	पॉलिसी अवधि		
	10	15	25
10	77,910	66,650	50,005
20	77,985	66,775	50,255
30	78,010	66,865	50,695
40	78,180	67,335	52,340
50	78,800	68,800	56,160
60	79,965	71,405	-

उपरोक्त प्रिमियम में कर शामिल नहीं है।

5. उच्च बीमा राशि के लिए छूट

उच्च बीमा राशि छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमा राशि (बीएसए)	छूट (रु.)
रु. 1,00,000 से रु. 2,00,000 से कम	शून्य
रु. 2,00,000 से रु. 3,00,000 से कम	20‰ बी.एस.ए.
रु. 3,00,000 से रु. 5,00,000 से कम	30‰ बी.एस.ए.
रु. 5,00,000 और उससे अधिक	40‰ बी.एस.ए.

6. पॉलिसी ऋण

निम्नलिखित के अधीन, पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध होगा:

i. पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के पूर्ण होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या मुक्त अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय ऋण लिया जा सकता है।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी वर्ष	अभ्यपर्ण मूल्य का प्रतिशत
पहले से पांचवें	50%
छठे से नववें	60%
दसवें और उससे अधिक	80%

iii. जीवन बीमाधारक की अवयस्कता के दौरान ऋण प्रस्तावक द्वारा लिया जा सकता है, बशर्ते कि ऋण अवयस्क जीवन बीमाधारक के हितलाभ के लिए लिया गया हो।

iv. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.5% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तनाधीन है।

v. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्वसमापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

vi. पॉलिसी समापन के समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

7. अभ्यर्पण

इस पॉलिसी को पॉलिसी वर्ष के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर निगम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार होगा:

- पहले तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान : भुगतान की गई सिंगल प्रीमियम का 75%
- उसके बाद : भुगतान की गई सिंगल प्रीमियम का 90%

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो,

भी देय होगा, जो निहित बोनस गुणित निहित बोनस पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक के बराबर है। ये कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और ये नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार हैं :

निहित बोनसों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक																
	पॉलिसी अवधि--->															
पॉलिसी वर्ष	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%
2	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%
3	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
4	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
5	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
6	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
7	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
8	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
9	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
10	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
11		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
12			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
13				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
14					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
15						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
16							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
17								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
18									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
19										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
20											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
21												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
22													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
23														35.00%	30.00%	27.06%
24															35.00%	30.00%
25																35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा।

8. कुछ घटनाओं में जब्ती

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

9. पॉलिसी की समाप्ति

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वत: समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 6 में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) मुक्त अवलोकन निरस्त होने पर राशि के भुगतान पर; या

जी) उपरोक्त अनुच्छेद 8 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में

10. कर

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे एकल प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से राइडर प्रीमियम संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

11. मुफ्त अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोर्टों सहित, यदि कोई हों,) पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई एकल प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

12. अपवर्जन

आत्महत्या:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति के नामित या लाभार्थी को भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% (किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो को छोड़कर) या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, को पाने की पात्रता होगी। बीमित व्यक्ति के नामित या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे की पात्रता नहीं होगी।

यह आत्महत्या अनुच्छेद उस बीमित व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा, जिसकी आयु प्रवेश के समय 8 वर्ष से कम है।

13. हितलाभ उदाहरण

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	**30**
पॉलिसी अवधि:	**25**
एकल प्रीमियम की राशि:	**50695.00**
(मूल योजना के लिए सिंगल प्रीमियम)	
प्रीमियम भुगतान की विधि:	**एकल**

"यह हितलाभ संबंधी दृष्टांत किस प्रकार पढ़ा और समझा जाना चाहिए?

इस हितलाभ संबंधी दृष्टांत का उद्देश्य ब्याज की दो अनुमानित दरों, अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की दर से पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों को वर्ष–वार दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा का व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के निष्पादन के आधार पर प्रतिफल के साथ परिवर्तनीय हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इन्हें इस पृष्ठ पर दृष्टांत तालिका में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत के रूप में अंकित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दृष्टांत में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भविष्य के निवेश प्रतिफल की दो अलग–अलग दरें दर्शाई जाएँगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और इनकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य में निवेश के निष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा।"

पॉलिसी संबंधी विवरण			
पॉलिसी विकल्प		मूल बीमा राशि रु.	100000
बोनस का प्रकार	साधारण प्रत्यावर्ती और अंतिम अतिरिक्त बोनस	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	100000

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)"	एकल प्रीमियम [3]	गारंटीकृत लाभ			4% प्रति वर्ष की दर गैर–गारंटीकृत हितलाभ			
		गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	"प्रत्यावर्ती बोनस"	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[4]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[4]	"अभ्यर्पण लाभ"
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50695	38021	100000	0	0	38021	18620	38021
2	0	38021	100000	0	0	38021	19940	38021
3	0	38021	100000	0	0	38021	21350	38021

प्रस्ताव संख्या:	
उत्पाद का नाम:	एलआईसी की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना
टैग लाइन:	एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या:	512N283V03
जीएसटी की दर:	शून्य
नोट: जीएसटी की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।	

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर[2]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना एकल प्रीमियम	50695.00		50695.00
जीएसटी के साथ एकल प्रीमियम	50695.00		50695.00

8% प्रति वर्ष की दर गैर–गारंटीकृत हितलाभ				"कुल हितलाभ (गारंटीकृत और गैर–गारंटीकृत लाभ सहित)"			
				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ [5]	
"प्रत्यावर्ती बोनस"	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[4]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[4]	"अभ्यर्पण लाभ"	"कुल परिपक्वता लाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो (5+6+ एफएवी)"	"कुल परिपक्वता लाभ, 8% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो (5+10+ एफएवी)"	"कुल मृत्यु लाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो (4+6+ एफएवी)"	"कुल मृत्यु लाभ, 8% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो (4+10+ एफएवी)"
10	11	12	13	14	15	16	17
3700	38574	19309	38574	0	0	100000	103700
7400	39141	21416	39141	0	0	100000	107400
11100	39717	23720	39717	0	0	100000	111100

4	0	45626	100000	0	0	45626	22870	45626
5	0	45626	100000	0	0	45626	24510	45626
6	0	45626	100000	0	0	45626	26260	45626
7	0	45626	100000	0	0	45626	28120	45626
8	0	45626	100000	0	0	45626	30140	45626
9	0	45626	100000	0	0	45626	32300	45626
10	0	45626	100000	0	0	45626	34610	45626
11	0	45626	100000	0	0	45626	37100	45626
12	0	45626	100000	0	0	45626	39760	45626
13	0	45626	100000	0	0	45626	42610	45626
14	0	45626	100000	0	0	45626	45680	45680
15	0	45626	100000	0	0	45626	48970	48970
16	0	45626	100000	0	0	45626	52510	52510
17	0	45626	100000	0	0	45626	56310	56310
18	0	45626	100000	0	0	45626	60400	60400
19	0	45626	100000	0	0	45626	64800	64800
20	0	45626	100000	0	0	45626	69560	69560
21	0	45626	100000	0	0	45626	74700	74700
22	0	45626	100000	0	0	45626	80260	80260
23	0	45626	100000	0	0	45626	86300	86300
24	0	45626	100000	0	0	45626	92860	92860
25	0	45626	100000	100000	0	45626	100000	100000

टिप्पणियाँ:

इस दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

"1. यदि बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम कवर पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष पूरे होने या 8 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा।

जोखिम शुरू होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, भुगतान की गई सिंगल प्रीमियम (करों, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) को छोड़कर) वापस कर दी जाएगी।"

2. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

14800	47908	26255	47908	0	0	100000	114800
18500	48503	29044	48503	0	0	100000	118500
22200	49116	32090	49116	0	0	100000	122200
25900	49752	35403	49752	0	0	100000	125900
29600	50427	39061	50427	0	0	100000	129600
33300	51147	43056	51147	0	0	100000	133300
37000	51927	47416	51927	0	0	100000	137000
40700	52781	52200	52781	0	0	100000	140700
44400	53432	57413	57413	0	0	100000	144400
48100	54120	63105	63105	0	0	100000	148100
51800	54872	69342	69342	0	0	100000	151800
55500	55705	76148	76148	0	0	100000	156000
59200	56637	83596	83596	0	0	100000	159700
62900	57690	91729	91729	0	0	100000	163900
66600	58899	100626	100626	0	0	100000	168100
70300	60284	110354	110354	0	0	100000	172300
74000	61899	121034	121034	0	0	100000	176500
77700	63792	132742	132742	0	0	100000	180700
81400	66017	145592	145592	0	0	100000	185900
85100	68654	159741	159741	0	0	100000	191100
88800	72266	175320	175320	0	0	100000	196300
92500	78001	202500	202500	100000	202500	100000	202500

3. एकल प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस दृष्टांत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना गया है कि वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार प्रक्रिया से इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर बोनस घोषित किए जाने पर निहित हो जाएँगे।

-बीमांकिक जांच से उत्पन्न अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार होगा।

14. शिकायत निवारण प्रणाली

निगम की:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर त्वरित मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय

प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का जानबूझकर रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित

व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41)

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय-समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512